

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-
मुकदमा नम्बर 21/2019

हेमराज गूर्जर, R.A.S.
तारीख रजू 04.02.2019

जीसीएमएस आई.डी 2019/00029

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. मु0 जुबेदा उम्र 73 साल बेबा महबूब खॉ | } पिसरान
महबूब | } जाति - मुसलमान
निवासी- अलीपुरा
तहसील- हिण्डौनसिटी
जिला- करौली राज0 |
| 2. अब्दुल कलाम उम्र 45 साल | | |
| 3. अब्दुल सलाम उम्र 40 साल | | |
| 4. अब्दुल सलीम उम्र 35 साल | | |
| 5. अब्दुल बसीम उम्र 33 साल | | |

--वादीगण-05

बनाम

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0 | | |
| 2. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी लेण्ड होल्डर | | |
| 3. सत्तार उम्र 50 साल | } पिसरान-
मजीत खॉ | } जाति-मुसलमान
निवासी-अलीपुरा
तहसील-हिण्डौनसिटी |
| 4. गफ्फार उम्र 60 साल | | |
| 5. मु0 शहजादी उम्र 55 साल | } पिसरान-
अजीत खॉ | } जाति-ब्राह्मण, निवासी-अलीपुरा
तहसील-हिण्डौन, जिला करौली, राज0 |
| 6. नबाव उम्र 50 साल | | |
| 7. निरंजन उम्र 45 साल पुत्र घनश्याम | | |
| 8. मुकेश उम्र 40 साल पुत्र गजानन्द | | |

--प्रतिवादीगण-08

दावा बावत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा न0-21/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188^{के} अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/02/19 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)
04/02/19

